तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राधादेवी बनाम जिला कलक्टर जयपुर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2022/684**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.04.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नही। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी के ताऊजी (बडे पिता) की कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 17.05.1993 रामगोपाल पुत्र विजयलाल द्वारा जालसाजी व धोखाधड़ी करते हुए अपने नाम खुलवाने के सम्बन्ध में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि भूमि सम्बन्धी विवादों हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अर्न्तगत प्रावधान किये हुऐ है जिनके तहत ही अपीलार्थीया द्वारा उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में अपील/वाद इत्यादि दायर कर अपने हक, हकूक, अधिकारों को तय कराना चाहिये जिसके लिये अपीलार्थीया स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीया द्वारा सुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 3/4/23 **(अन्तरसिंह नेहरा)** अपीलेट अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	